जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला निर्वाचन शाखा)

दिनांक 02.11.2019 को विधान सभा निर्वाचन के क्रम में Standing Committe मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक की कार्यवाही :–

(1) उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, धनबाद द्वारा अभिवादन के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.11.2019 को विधान सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिलें में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव कार्यक्रम निम्नवत है:–

1.	अधिसूचना निर्गत होने की तिथि	–	22.11.2019
2.	नाम निर्देशन की तिथि	–	22.11.2019 से 29.11.2019
3.	संवीक्षा की तिथि	–	30.11.2019
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि	–	0212.2019
5.	मतदान की तिथि	–	16.12.2019
6.	मतगणना की तिथि	–	23.12.2019
7.	निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	–	26.12.2019

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि सम्पति विरूपण संबंधी अधिनियम का पालन सुनश्चित करें। सरकारी भवनों पर यदि आपके पार्टी से संबंधित पोस्टर/दिवाल लेखन हो तो उसे चुनाव कार्यक्रम घोषणा की तिथि से 24 घंटे के अंदर हटवा लें। सार्वजनिक स्थल पर लगे पोस्टर, बैनर इत्यादि को चुनाव कार्यक्रम घोषणा की तिथि के 48 घंटे के अंदर हटवा लें। प्राईवेट भवन का Defacment चुनाव घोषणा तिथि से 72 घंटे के अंदर हटवाना सुनिश्चित करेंगे।

लाउडस्पीकर का प्रयोग संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पूर्वाहन 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण जिला में भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया के तहत धारा–144 लागू है। सभा, जुलुस अनुमति प्राप्त कर करेंगे अनुमति के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुविधा ऐप विकसित किया गया है। उस पर आवेदन कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

मतदाताओं एवं आमजनों की सुविधा के लिए जिला में 1950 Tollfree नम्बर अधिष्ठाापित है। उक्त नम्बर से मतदाता सूची में निबंधन एवं मतदान केन्द्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धनबाद जिला में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 29.11.2019 है। कोई व्यक्ति यदि 18+ आयु वर्ग के है एवं मतदाता बनने की अर्हता रखते है, वे निबंधन हेतु दिनांक 18.11.2019 तक प्रपत्र–6 में आवेदन कर सकते है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा c-Vigil App उपलब्ध कराया गया है। शराब वितरण, कैश वितरण एवं इत्यादि से संबंधित सूचनायें/शिकायत c-Vigil App पर उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 90 मिनट के अंदर उसका निस्तार की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

"मत डालना आपका अधिकार है, मतदाता बनें। मतदाता सूची में निबंधन करायें, मतदान का अधिकार पायें।"

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पोस्टर, पम्फलेट एवं MCMC संबंधी आदेश की प्रति आप सभी को उपलब्ध कराई गई है। प्रचार संबंधी सामग्री के मुद्रण के पहले मीडिया कोषांग MCMC कमिटि से मुद्रित की जानेवाली सामग्रियों का Pre-Certification कराना आवश्यक है। मुद्रित सामगग्री पर Publisher प्रेस का नाम एवं मुद्रित की जानेवाली सामग्री की संख्या का उल्लेख आवश्यक है। Electronic Media पर प्रचार सामग्री का Pre-Certification आवश्यक है।

शहर में नगर निगम/प्राईवेट होर्डिंग्स पर बैनर संबंधित से अनुमति प्राप्त कर करेंगे एवं व्यय को अपने खर्चे में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि मतदान केन्द्र पर बी0एल0ओ0 से बेहतर समन्वय के लिए मतदान केन्द्रवार BLA की नियुक्ति सुनिश्चित करें। इस संबंध में पूर्व में भी बैठकों में स्मारित किया गया है।

नाम निर्देशन के दिन से अभ्यर्थी को व्यय पंजी में दैनिक व्यय अंकित किया जाना है। जिले में प्रचलित दर पर रेट चार्ट तैयार कर आपको उपलब्ध कराया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से रेट चार्ट को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष के वाहन पर झंडा लगाने के संबंध में पृच्छा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त द्वारा तत्संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अनुदेशों से अवगत कराया गया। दो पहिया वाहन पर 1ft x 1/2 ft का Flag लगाया जा सकता है। तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन पर 1ft x 1/2 ft का Flag लगाया जा सकता है।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, धबनाद द्वारा भी उपस्थित सदस्यों से आदर्श आचार संहिता में सहयोग की अपील की गई। सोसल मिडिया पर यदि कोई आपतिजनक पोस्ट पाया जाय तो उराका URL नोट कर लें। इसके लिए लोगो को जागरूक करे। URL प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त द्वारा सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

2.11.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 2304 /निर्वा0, धनबाद, दिनांक 2/11/19

प्रतिलिपिः– अधक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

2.11.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
उपायुक्त, धनबाद।

"मत डालना आपका अधिकार है, मतदाता बनें। मतदाता सूची में निबंधन करायें, मतदान का अधिकार पायें।"